न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2012 (बांसवाड़ा डिकी)

1. अरविन्द पिता स्वर्गीय रतनलाल जी जोशी, जाति ब्राहमण, निवासी मोहन कॉलोनी, बांसवाडा (राज.)
2. श्रीमती हिरावन्ती बेवा स्वर्गीय रतनलाल जी जोशी, जाति ब्राहमण, निवासी मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्वर्गीय वेलजी पिता वसीया, जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/1.श्रीमती दितुड़ी पत्नी स्वर्गीय वेलजी जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2.कना पुत्र स्वर्गीय वेलजी जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3.नाहरसिंह पुत्र स्वर्गीय वेलजी जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4.वरसेंग पुत्र स्वर्गीय वेलजी जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. धूलजी पिता वसीया, जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. मावजी पिता वसीया, जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राज्य जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 31–10–2011 प्र.सं. 132/02

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाशक अपीलान्टगण
2– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय दिनांक

13—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी श्री रतनलाल द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तगत धारा 88, 92—ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से आवंटन अंधिकारी बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 13—11—1986 को मौजा गोरडी के खसरा नंबर 1366/678 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया, जिसका गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 518 दिनांक 20—04—1991 को किया गया तथा वर्तमान में उक्त भूमि वादी के नाम से खाता संख्या 181 नयी 1 पुरानी में दर्ज है, किन्तु पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा आराजी नंबर 896, 897 व 898 का दिया गया, जब से वादी उक्त भूमियों पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर वादी आराजी नंबर 639 में 2 बीघा, 897 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 898 में 1 बीघा 15 बिस्वा, 995 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 678 रकबा 5 बिस्वा पर कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी को उक्त आराजी नंबर 639 में 2 बीघा, 897 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 898 में 1 बीघा 15 बिस्वा, 995 रकबा 5 बिस्वा, 678 रकबा 5 बिस्वा का एक मात्र खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा विशेष आपत्ति में बताया कि आराजी नंबर 639/1 रकबा 5 बीघा में से 2 बीघा भूमि पर वादी ने कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 आराजी नंबर 639/1 रकबा 5 बीघा भूमि का खातेदार कृषक ह तथा वादी ने उसको आवंटित आराजी नंबर 1366/678 का कोई क्लेम ही नहीं किया है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 31–10–2011 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद सारहीन होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–02–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19–12–2011 को वकील से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि उक्त दिनांक को वादी के वकील स्वयं उपस्थित थे। अतः वादी द्वारा दफा 5 में उठाये गये उजर उचित प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार ने उपस्थित होकर बहस में भाग लिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा निर्णय में दो तिथियां इंगित कर रखी हैं। अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित कराया है, फिर भी वाद को साबित नहीं मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

वहीं विद्वान राजकीय पैरोकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवेचन करते हुए स्पष्ट वर्णित किया है कि वादी जिस भूमि की खातेदारी चाहता है वह भूमि प्रतिवादीगण को आवंटित हुई एवं उनके मकान बने होकर उनका कब्जा है। वादी/अपीलान्ट स्वयं ने अपने वाद में वादी को आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं होना बताते हुए प्रतिवादीगण को आवंटित विवादित भूमि पर अपना पुराना कब्जा होने के आधार पर खातेदारी चाही है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित नवीनतम न्यायिक निर्णयों में राजस्थान काश्तकारी कानून में कब्जे के आधार पर खातेदार देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद सारहीन होना मानकर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

अरविन्द पिता स्व. रतनलाल जोशी जाति ब्राहमण, नि0 मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

स्व. वेलजी के बजाय श्रीमती दितुडी पत्नी वेलजी, जाति भील, निवासी गोरडी, तहसील बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰.....13/2012.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....बांसवाड़ा..... मुकाम.....मुवर्खे.....31.....माह..... 10.....2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू.... पक्षकारान... व हाजरी...श्री य"पाल गुप्ता ....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... श्री पैरोकार सरकार

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2011 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....05... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।